आदेश–पत्रक

ईखायुक्त, बिहार, गन्ना उद्योग विभाग के समक्ष सुनवाई से संबंधित।

आदेश का संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाही के बारे में टिप्पणी तारीख सहित।
1	2	3
22.07.2026	विष्णु सुगर मिल लि० द्वारा पेराई सत्र 2026–27 और उसके बाद की अवधि के लिए गैर पारम्परिक गांवो के पुनः आरक्षण के प्रस्ताव पर सुनवाई किया गया। **उपस्थितिः–** विष्णु सुगर मिल के प्रतिनिधि द्वारा कहा गया कि गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त भूमि होने के बावजूद किसान गन्ने की खेती करने के इच्छुक नहीं है, क्योंकि अधिकांश किसानों के पास सीमांत भूमि है, इसलिए वे कम समय वाले फसलों की प्राथमिकता देते है। हमारी 4900 टी.सी.डी. क्षमता की चीनी मिल के लिए 120 दिनों के अधार पर न्यूनतम 50 लाख क्विंटल गन्ने की आवश्यकता है। नियमों के अनुसार पेराई सत्र 2026–27 के लिए हमारा NCR 130 दिनो की अवधि के आधार पर 57 लाख क्विंटल निर्धारित किया गया हैं। पेराई सत्र 2026–27 के सर्वेक्षण रिपोट के अनुसार, पारंपरिक और गैर–पारंपरिक आरक्षित क्षेत्रों से लगभग 45 लाख क्विंटल गन्ने की उम्मीद हैं, जबकि हमारा राष्ट्रीय उत्पादन लक्ष्य 57 लाख क्विंटल है, जिसे पूरा करने के लिए लगभग 12 लाख क्विंटल गन्ने की आवश्यकता हैं। जलवायु, मिट्टी और भूमि की स्थितियों के कारण पं० चम्पारण क्षेत्रों और गोपालगंज, सिवान तथा पूर्वी चम्पारण के उत्पादन में अधिक अंतर है। गोपालगंज क्षेत्र की अधिकांश भूमि बाढ़ प्रभावित है, जबकि पश्चिम चंपारण के चीनी कारखानों के क्षेत्र में बाढ़ की कोई संभावना नही हैं। अतः सिवान के ग्राम मैरवां, सीवान, बड़हरिया, गोपालगंज के ग्राम और कटेया, पश्चिमी चंपारण के गाँव बेरिया, संग्रामपुर, कोटना, कलयानपुर, चकिया/पिपरा, मोतीहारी, तुर्किया कुल 361 गैर–पारंपरिक गाँवों को पुनः	

आरक्षण का अनुरोध करते है।

भारत सुगर मिल के प्रतिनिधि द्वारा कहा गया है, कि पेराई सत्र 2025–26 से 2029–30 तक के लिए आवंटित ग्रामों में भारत सुगर मिल के साथ–साथ मेसर्स विष्णु सुगर मिल, गोपालगंज को भी आंवटित किया गया है। परन्तु लिपिकीय त्रुटिवश प्रखंड बड़हरिया (जिला सिवान) के ग्राम–भादे (थाना नं०–508), महमूदपुर (थाना नं०–509), तीलसन्डी (थाना नं०–510), भीमपूर (थाना नं०–511), हरदोवारा (थाना नं०–515), भगवानपूर (थाना नं०–517), अहीरानी (थाना नं०–518), चौकी हसन चौकी मकदूम (थाना नं०–519), प्रखण्ड पचरूखी (जिला सिवान), के ग्राम– सहलौर (थाना नं०–420), कैथी (थाना नं०–520),सरेया (थाना नं०–521), दिनापट्टी (थाना नं०–522), हकमा (थाना नं०–523), भरतपुरा (थाना नं०–531), नथनपुरा (थाना नं०–532), हामदीपुर (थाना नं०–533), बुधु छपरा (थाना नं०–534), नौरंगा (थाना नं०–525) उक्त वर्णित सभी ग्राम मेसर्स विष्णु सुगर मिल, गोपालगंज को आवंटित सूची में समाहित है। ऐसी परिस्थिति में पेराई सत्र के दौरान विधि व्यवस्था के साथ–साथ गन्ना विकास के कार्यों में विषंगतियों के उत्पन होने की संभावनाएँ है।

उनके द्वारा निवेदन किया गया कि उपरोक्त वर्णित ग्रामों जो हमारी चीनी मिल के पक्ष में अपरंपरागत रूप से पूर्व से आवंटित हो रहे है, परन्तु लिपिकीय त्रुटिवश मेसर्स विष्णु सुगर मिल गोपालगंज को आवंटित कर दिये गये है, को हमारी चीनी मिल के पक्ष में आंवटित/आरक्षित करने हेतु शुद्धिपत्र जारी करने की अनुरोध करते है।

इनके द्वारा आरक्षित एवं अपरंपरागत क्षेत्र का नक्शा प्रस्तुत कर कहा गया कि हाईवे के दोनो तरफ हमारे मिल और विष्णु सुगर मिल का क्षेत्र आरक्षित है, जिसमें सुधार कर हाईवे के एक तरफ विष्णु सुगर मिल एवं दुसरे तरफ हमारे मिल का क्षेत्र आरक्षित करने का भी अनुरोध करते है।

ईख पदाधिकारी गोपालगंज द्वारा कहा गया कि प्रस्तावित आरक्षित एवं अपरंपरागत क्षेत्र के कुछ भाग हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं हैं।

सभी पक्षों को सुना, संबंधित ईख पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है, कि Rationalization Existing गाँव अभी किसके पास है और वहाँ Cane area कितना Develop है, इस संबंध में विस्तृत ब्यौरा समर्पित करें। साथ ही Overlap को कैसे Reduce कर किसी भी चीनी मिल के गेट से गन्ना

	गेट से गन्ना गुजरते हुए दूसरे चीनी मिल में जाता है उसका उपाय करे। अपरंपरागत क्षेत्रों के आरक्षण हेतु क्षेत्रीय किसानों एवं उनके प्रतिनिधियों से भी विचार विमर्श करना न्यायोचित प्रतीत होता है। सभी संबंधित पक्ष अपना लिखित जबाव दाखिल करें। कार्यालय सभी संबंधित पक्षों को अगली बैठक की तिथि निर्धारित होने पर सूचित करें। ह०/– ह०/– **लेखापित एवं शुद्धित।** **ईखायुक्त, बिहार।**	

ज्ञापांक–02/रेगु०–2–800–02/2020– 1391/ई०का० /पटना, दिनांक 30 जुलाई, 2026

प्रतिलिपि–महाप्रबंधक, मेसर्स विष्णु सुगर मिल्स लि०, गोपालगंज/ईख पदाधिकारी, गोपालगंज/मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30.7.26

(वेदव्रत कुमार)
संयुक्त ईखायुक्त।

ज्ञापांक–02/रेगु०–2–800–02/2020– 1391/ई०का० /पटना, दिनांक 30 जुलाई, 2026

प्रतिलिपि–ईखायुक्त, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/संयुक्त ईखायुक्त/सहायक ईखायुक्त, उत्तर बिहार, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

30.7.26

संयुक्त ईखायुक्त।

ज्ञापांक–02/रेगु०–2–800–02/2020– 1391/ई०का० /पटना, दिनांक 30 जुलाई, 2026

प्रतिलिपि– आई॰ टी॰ प्रबन्धक, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

30.7.26

संयुक्त ईखायुक्त।

Hearing.ls